राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प027(08)चिस्वा/ग्रुप–2/2017 जयपुर दिनांक:06.03.2017

**M/S Ergen Plastic Pvt, Ltd, P-7&8, Industrial Estate, Jodhpur**

अपीलार्थी

बनाम

कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पोडेन्ट

785
17/3/17

प्रथम अपील संख्या –08/2017
अन्तर्गत धारा 38 (1), RTPP Act, 2012

निर्णय दिनांक: 06.03.2017

प्रस्तुत अपील पर, सुनवाई दिनांक 06.03.2017 को की गई। अपीलार्थी एवं रेस्पोन्डेन्ट दोनों पक्षकारों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी फर्म M/s Ergen Plastic Pvt. Ltd., P-7& 8, Industrial Estate, Jodhpur की ओर से अधिवक्ता श्रीमति शशि माहेशवरी के Authorization Letter के आधार पर श्री अनिल पुरी गोस्वामी उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की ओर से प्रबंन्ध निदेशक, एवं कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक–I (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक–II (ई.पी.एम.) एवं कन्सलटेन्ट बायोमेडिकल इन्जीनियर (आर एण्ड एम) आदि उपस्थित हुये। संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है:–

1. आर.एम.एस.सी.एल. द्वारा आईटम Plastic Pallet की खुली निविदाए आमन्त्रित किये जाने हेतु निविदा सूचना संख्या 188 दिनांक 21.10.2016 जारी की गई। निविदाओ की तकनीकी बिड दिनांक 14.12.2016 को खोली गई। जिसमें 08 फर्मो M/s Ergen Plastic Pvt. Ltd-Jodhpur, M/s Newgen Speciality Plastic Ltd-New Delhi, M/s Nilkamal Ltd-Mumbai, M/s Promens India Pvt Ltd- Ahemdabad, M/s Sintex Industries Ltd-Kalol (North Gujrat), M/s SRK Enterprises-Jaipur, M/s The Supreme Industries Ltd-Noida & M/s Vishaka Industries-Ahemdabad ने अपनी निविदाए प्रस्तुत की।

2. निगम स्तर पर उक्त प्राप्त 08 फर्मो की तकनीकी बिडों का मूल्यांकन एवं उपकरण का डेमोन्सट्रेशन दिनांक 03.01.2017 को लिया जाकर, कार्यालय आदेश क्रमांक F-8( ) RMSC/EPM/M-2/2016-17/NIB-188/490 Dated 07.02.2017 द्वारा List of Responsive/ Non Responsive Bidders की घोषणा की गई।

3. निगम के आदेश क्रमांक 490 दिनांक 07.02.2017 में अपीलान्ट फर्म M/s Ergen Plastic Pvt. Ltd., P-7& 8, Industrial Estate, Jodhpur की निविदा को आईटम Plastic Pallet के लिये तकनीकी समिति द्वारा Technically Not Recommended (due to Uneven surface finish, Poor Workmanship, Air Bubbles at Bottom Surface) किया गया जिसके कारण से Non-Responsive Declare किया गया।

4. निगम के आदेश क्रमांक 490 दिनांक 07.02.2017 अनुसार इस आईटम के लिये दो फर्मो M/s Promens India Pvt Ltd, Ahemdabad and M/s Sintex Industries Ltd-Kalol (North Gujrat), की वित्तीय बिड दिनांक 10.02.2017 को खोली गई।

5. अपीलान्ट फर्म M/s Ergen Plastic Pvt. Ltd-Jodhpur ने निगम के आदेश क्रमांक 490 दिनांक 07.02.2017 से, उनकी निविदा को आईटम Plastic Pallet के लिये Non Responsive घोषित किये जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुये, व्यथित होकर हस्तगत प्रथम अपील दिनांक 13-02-2017 under RTPP Act 2012 Section 38(1) प्रस्तुत की है।

6. दौरान सुनवाई अपीलान्ट फर्म M/s Ergen Plastic Pvt. Ltd-Jodhpur ने मूलतः अपील में अंकित तथ्यों को ही दोहराया । रेस्पोन्डेन्ट द्वारा फर्म की निविदा को तकनीकी Demonstration के दौरान, due to Uneven surface finish, Poor Workmanship, Air Bubbles at Bottom Surface के कारण नॉन रेस्पोन्सिव किया गया। अपीलार्थी फर्म ने अन्य निविदादाता फर्मो की निविदाओं को दस्तावेजों के पर्याप्त नही होने एवं तकनीकी मापदण्डों के अनुसार Demonstration मे उपयुक्त नही होने के बावजूद भी रेस्पोन्सिव किये जाने पर आपत्तियां दर्ज कराई है परन्तु अपीलार्थी फर्म ऐसा कोंई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पाई जिससे कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अन्य फर्मो की निविदाओं के दस्तावेजों एवं Demonstration को अनुचित सिद्ध किया जा सके। इसके अतिरिक्त फर्म ने अपने अपील में अन्य ऐसे तथ्य भी प्रस्तुत किये, जो निराधार पाये गये । अपीलार्थी फर्म के Demonstrated आईटम का सैम्पल एवं निविदा के अन्तर्गत एल–1 फर्म के Demonstrated का दौरान सुनवाई Comparison किया गया। जिसमें तकनीकी समिति द्वारा अपीलार्थी फर्म के Demonstrated आईटम के सैम्पल के सम्बन्ध में दी गई रिपोर्ट उचित पाई गई। अतः अपीलार्थी फर्म द्वारा प्रासंगिक अपील के सम्बन्ध में प्रस्तुत तर्क एवं साक्ष्यों के अवलोकन एवं रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत एंव अवगत कराये गये तथ्यों के अनुसार स्पष्ट होता है कि निगम की निविदा सूचना 188 के अन्तर्गत रेस्पोन्सिव/नॉन रेस्पोन्सिव बिडर्स के लिये जारी किया गया आदेश दिनांक 07.02.2017 उचित है। अतः उपरोक्तानुसार रेस्पोन्डेन्ट के आदेश क्रमांक 490 दिनांक 07.02.2017 को उचित मानते हुये, अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने के कारण अपास्त की जाती है।

## आदेश

उपरोक्त कारण से अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं राज्य उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावें। पत्रावली निर्णय मे सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं शासन सचिव